

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक-22 अप्रैल, 2019

विषय :- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-303/उन्तीस(2)/18-2(139पे0)/2017, दिनांक 09 फरवरी, 2018, जिसके द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु रू0 425.59 लाख (रू0 चार करोड़ पच्चीस लाख उनसठ हजार मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया था, के सन्दर्भ में आपके कार्यालय के पत्र संख्या: 7525/टी0ए0सी0/2018-19/उ0ज0सं0 दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा विभागीय टी0ए0सी0 उपरांत संस्तुत कुल रू0 477.11 लाख (मूल स्वीकृत रू0 425.25 लाख +अतिरिक्त लागत रू0 51.52 लाख) (रू0 चार करोड़ सतहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए पुनरीक्षित किया जाता है।

2. पूर्व में अनुमोदित लागत रू0 425.59 लाख सम्बन्धी शासनादेश संख्या-303/उन्तीस(2)/18-2(139पे0)/2017 दिनांक 09 फरवरी, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-10/XXVII(2)/2019, दिनांक 16 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

पू0 संख्या-347(1)/उन्तीस(2)/19-2(139 पे0)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।